

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>सांगसिंह बनाम लो.सू.अ.( तहसीलदार शेरगढ )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 11/2021</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>01.03.21</p>	<p>अपीलार्थी सांगसिंह पुत्र उदयसिंह, पता उदय भवन पैलेस, बालेसर सता जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.11.2020 में उसके द्वारा (1) दिनांक 05.06.1976 के बंटवाड़ा आदेश क्रमांक 900 का निरीक्षण कराने के उपरान्त प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार शेरगढ ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार शेरगढ ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार शेरगढ ) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना के लिए अपीलार्थी को निरीक्षण कराकर उसके चाहे जाने पर 7 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	